

e/; i nsk xleh.k | Mē fodkl i k/kdj.k
%e-i z' kkl u] i pk; r , oa xleh.k fodkl foHkx dsv/Hku½
[k.M&2] i pe ry] lk; kzk Hkou] Hkksky

क्र. 14472/22/वि-12/E-2-1/11/

भोपाल, दिनांक 15/10/2012

:: विज्ञप्ति ::

—0—

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय जाँच प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. शासन के कार्य विभागों से सेवानिवृत्त एवं अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं विभागीय जाँच अधिकारी के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु ऐसे अधीक्षण अभियंता एवं उससे उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों जिन्हें विभागीय जाँच प्रणाली एवं प्रक्रिया का दीर्घ अनुभव हो से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2012 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम व शर्तें तथा भुगतान आदि संबंधी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.mprrda.com से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

प्राधिकरण में सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं विभागीय जांच प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारी के रूप में लेने बावत नियम एवं शर्तें

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में अधिकतर कार्यकारी अमला शासन के कार्य विभागों, विद्युत मण्डल एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर पदस्थ है। प्राधिकरण के प्रशासकीय एवं वित्तीय विनियम के अनुसार प्राधिकरण में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 लागू है। प्राधिकरण में पदस्थी के दौरान प्रतिनियुक्ति/संविदा पर कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन में की गई अनियमितताओं के लिये उक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं।

1. सेवा निवृत्त तकनीकी अधिकारियों का जांचकर्ता अधिकारी के रूप में चयन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
2. म.प्र. शासन के कार्य विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियों (अधीक्षणयंत्री, मुख्य अभियन्ता) से प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक पैनल उपरोक्त समिति द्वारा बनाया जावेगा।
3. प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्य महाप्रबंधक के क्षेत्राधिकार के अनुसार यथा भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन व रीवा हेतु जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।
4. समिति द्वारा अनुशंसित/empanelled जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की जायेगी और उसे ऐसे मामले Cast to Cast basis पर सौंपे जायेंगे।
5. विभागीय जांच हेतु जांचकर्ता अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय भुगतान (प्रत्येक प्रकरण रूपये 15,000) दिया जावेगा अथवा कर्मचारियों के कैंडर एवं पद के अनुसार भुगतान की राशि श्रेणीवार रखने पर भी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
6. लिपिकीय व्यय रूपये 5,000 प्रति प्रकरण तथा जांचकर्ता अधिकारी को कन्वेन्स Allownce अधिकतम रूपये 1000 प्रतिमाह दिया जावेगा।
7. जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरणों की जांच/कार्यवाही हेतु कक्ष, सुविधाएं, स्टेशनरी, पोस्टेज आदि की व्यवस्था मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।
8. विभागीय जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन सौंपने की समय-सीमा अधिकतम 6 माह निर्धारित है।
9. ऐसे जांचकर्ता अधिकारियों की सेवाएं नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेंगी।
10. किसी एक जांचकर्ता अधिकारी को सौंपे जाने वाले अधिकतम प्रकरणों की संख्या समिति द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी।
11. एक वर्ष पूर्ण होने पर पैनल का पुनरीक्षण गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

Form to be submitted by the applicant
to serve as Departmental Enquiry officer in MPRRDA



1. Name of applicant
2. Father's name
3. Date of birth
4. Date of Retirement
5. Name of department and
last office from where retired
6. Post from which retired
7. Caste : General/ OBC/ SC/ ST/Other(Please Specify)
8. Details of DE/EOW/Lokayukt enquiry etc. (if any)
.....
.....
9. Educational Qualification.
.
.....
10. Details of service :-

Post	From	To	Type of experience: Office/ Field	No of departmental enquiry cases disposed during the period under consideration

Present Postal address

.....

.....

Permanent address

.....

.....

Mobile no.:

Declaration

I hereby declare that neither any departmental/EOW or Lokayukt enquiry is pending against me nor any major penalty was ever imposed against me. I also declare that court case of any nature is not pending against me. Information given by me is true to the best of my knowledge & belief. My selection may be cancelled and suitable action may be taken if information furnished by me is found incorrect.

Signature of applicant:

Name of applicant:

Mobile No.

Date :

Place :